

# हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

### षष्ठम् सत्र

मंगलवार, 3 सितम्बर, 2024/12 भाद्रपद, 1946(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

#### 1. प्रश्नोत्तर:

##### (1) तारांकित :

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| (i) स्थगित      | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे । |
| (ii) दिन के लिए |   |   |

##### (2) अतारांकित :

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| दिन के लिए | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे । |
|            |   |  |

#### 2. कागजात सभा पटल पर रखें जाएंगे:

##### (1) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश का पहला विधान; और
- (ii) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.2024 तक) ।

##### (2) श्री मुकेश अग्निहोत्री, उप मुख्यमन्त्री, सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम का 49वाँ वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

- (3) **श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री**, हिमाचल प्रदेश गौजातीय प्रजनन अधिनियम, 2019 की धारा 30 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौजातीय प्रजनन अधिनियम (गौजातीय वीर्य के उत्पादन, विक्रय और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का विनियमन) नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: एएचवाई- ए(3)-3/2018-पी-1, दिनांक 11.10.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.11.2023 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।
- (4) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री**, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, तहसीलदार, ग्रुप-बी, भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन), 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: इन्ड-ए(ए)3-2/2024, दिनांक 05.08.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.08.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।
- (5) **श्री राजेश धर्माणी, नगर और ग्राम योजना मन्त्री**, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, अधिनियम, 2013 की धारा-139(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

### 3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

- (1) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2024-25)**, समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 73वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है;
- (ii) समिति का 74वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है;
- (iii) समिति का 75वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है;

- (iv) समिति का **76वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **वित्त विभाग (आधिक्य)** से सम्बन्धित है;
  - (v) समिति का **77वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **वित्त विभाग (आधिक्य)** से सम्बन्धित है;
  - (vi) समिति का **78वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **वित्त विभाग (आधिक्य)** से सम्बन्धित है;
  - (vii) समिति का **79वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **वित्त विभाग (आधिक्य)** से सम्बन्धित है;
  - (viii) समिति का **80वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **113वें मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है; और
  - (ix) समिति का **81वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **114वें मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान)** से सम्बन्धित है।
- (2) **श्री विनय कुमार, सभापति, अधीनस्थ विधायन समिति, (वर्ष 2024-25),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का **तृतीय प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि चौदहवीं विधान सभा के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायत्तशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित किए वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और
  - (ii) समिति का **चतुर्थ प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि चौदहवीं विधान सभा के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों/परिनियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है।

#### 4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री बिक्रम सिंह, “व्यास नदी से बड़सर के लिए पेयजल योजना पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।”

#### 5. विधायी कार्य:

##### (I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्वू, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन), अधिनियम, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

##### (II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री राजेश धर्माणी, नगर और ग्राम योजना मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना, अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

#### 6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

(1) श्री संजय रत्न }  
श्री कुलदीप सिंह राठौर } प्रस्ताव करेंगे कि:

“राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, निगमों, बोर्डों तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर उपस्थापित न करने या देरी से करने बारे यह सदन विचार करे।”

(2) श्री जीत राम कटवाल, प्रस्ताव करेंगे कि:

“प्रदेश की ऊर्जा/जल विद्युत नीति पर यह सदन विचार करे।”

शिमला-171004

दिनांक: 02 सितम्बर, 2024

(यशपाल शर्मा)

सचिव।

\*\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)